न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 506/2024

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. दीपाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कालुराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कलावती पत्नी स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. कलावती पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. शारदा पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. राजकुमार पुत्र स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. भालाराम पुत्र स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. निर्मला पुत्री स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. उर्मिला पुत्री स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 2.9.2024

वादी ओमपकाश व अन्य ने प्रतिवादीगण कलावती वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/83 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में 1.265 है. कृषि भूमि तथा वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/85 जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 में 1.645 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि [illegible] प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी[illegible] से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त [illegible] बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादीगण के अन्य लोगों के प्रभाव में होने से उक्त भूमि की [illegible] अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों [illegible] ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण को घरु तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.10 11:33:31 I
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(क) वादीगण ओमप्रकाश, दीपाराम, कालुराम, महावीर प्रसाद पुत्रगण स्व. श्री सहीराम, कलावती पत्नी स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-
तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/83 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.265 है. कृषि भूमि

(ख) वादीगण ओमप्रकाश, दीपाराम, कालुराम, महावीर प्रसाद पुत्रगण स्व. श्री सहीराम, कलावती पत्नी स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-
तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/85 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.645 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/83 व 110/85 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/83 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.265 है. कृषि भूमि तथा वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/85 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.645 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये [illegible] की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार [illegible] स[illegible] कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक [illegible] वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। [illegible] पत्र मुताबिक [illegible] के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता [illegible] द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/83 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.265 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम का नाम

लगातार --3

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.10 11:33:31 I
Reason: SelfAttested

कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/85 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.645 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 2.9.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 11:33:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 506/2024

ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

दीपाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

कालुराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

कलावती पत्नी स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

कल्पवती पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

शारदा पुत्री स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

राजकुमार पुत्र स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

4. भालाराम पुत्र स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. निर्मला पुत्री स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. उर्मिला पुत्री स्व. श्री राणाराम पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 2.9.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादीगण मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/83 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.265 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादी सं. 1 ता 4 के स्व. पिता, वादीया सं. 5 के स्व. ससुर सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम के नाम से तहसील संगरिया के इसी चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 110/85 जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में 1.645 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर स्व. श्री सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी [illegible] दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X...... निल ....X...... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बत ....X.... फीसदी सालाना ब्याज की तारीख निल....X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा वसूलयाबी तक ....X........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिन 2.9.2024 को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

Date: 2024.09.10 11:33:31 IST

Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया